राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010 जयपुर, दिनांक: 30 MAR 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा पर कार्मिकों के नियोजन के संबंध में।**

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कुछ जिलों द्वारा स्वीकृत पदों को भरने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में निवेदन है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.02.2010 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबधन हेतु जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा/प्रतिनियुक्ति आधार पर सृजित पदों की अवधि 28.02.2011 तक बढा दी गई है। इस संबंध में निर्देश दिये जाते है कि संविदा पर सृजित पदों को निर्धारित योग्यता एवं आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भरने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करावे। जिससे की योजना का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

भवदीय,

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)

**प्रतिलिपिः–** अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)